उपखण्ड अधिकारी
शिव

रा. क्र. 236/17 — हीराराम बनाम सरकार

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
05.04.2019	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उप0। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने पुनविलोकन आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी ने जो रास्ता कटाण का आदेश किया है। वह रास्ता मौजुदा समय में मौके पर चलायमान नही होने से कटाण किये गये रास्ते को आदेश को अपास्त किया ज़ावे। इसके विपरित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत जोडे गये विप्रार्थीगण पन्नाराम पुत्र मुकनाराम, जाति– मेघवाल, तथा सुमार खान पुत्र फता खां नि0 रामपुरा के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण ने उक्त पुनर्विलोकन आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर झुठा पेश किया है साथ ही बताया की उक्त जो रास्ता कटाण किया है वह वक्त सेटलमेंट से मौके पर चलता है, तथा उक्त चलाय मान रास्ते से ग्राम रामपुरा व ग्राम कोटडा के लोग /काश्तकार उपयोग उपभोग में ले रहे है तथा साथ ही तहसीलदार शिव द्वारा उक्त रास्ता कटाण करने के संबंध में जो रास्ते का प्रस्ताव तैयार कार भिजवाया वह बिलकुल सही एवं विधिसम्मत था उक्त रास्ता कटाण होने से लोगे के आवागमन की मौजुदा समय मे अच्छी सहुलियत होने से रास्ते के विवाद का स्थायी समाधान हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन खारिज फरमाया जावे। साथ ही विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की उक्त आदेश अपीलेबल है, प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है तथा तहसीलदार शिव से दुबारा मौका रिर्पोट मंगवाई गयी वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत किये गये कटाण रास्ते को मौजुदा समय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना बताया है। साथ ही हमने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा कटाण किये गये रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण की आपति पर दुबारा तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की। जिस पर तहसीलदार शिव स्वयं द्वारा हल्का पटवारी एवं भू– अभिलेख निरिक्षक निम्बला को मौके पर लेजाकर वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने पत्र क्रमाक /भूअ./2018/2797 दिनांक 07.08.2018 को इस कार्यालय को भिजवाई है जो की उक्त कटाण किये गये रास्ते की पुष्टि करती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनविलोकन आवेदन स्वीकार नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 05.04.2019 को सुनाया गया ।। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव उपखण्ड अधिकारी शिव	

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested